भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 110A/16-17

रईबु बोदरा बनाम मानु मुण्डा

:: आदेश ::

13|06|17 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी सरायकेला का पत्रांक 764 दिनांक 23.11.16 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 110 A /16-17 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में रईबु बोदरा, पिता-स्व0 बुधराम बोदरा, ग्राम- बलरामपुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु मानु मुण्डा, पिता-स्व0 बाबुराम मुण्डा, ग्राम-बलरामपुर, थाना- सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विकी करने के लिए छोटानागपुर की धारा46(1) **A** के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। केता के निवास के संबंध मे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

:: भूमि का विवरण::

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बलरामपुर	279	15	13	0.23ए0

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही किया है अंचल अधिकारी सरायकेला द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि विकी करने की अनुशंसा की गई है। जॉच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि विकेता के दादाजी एवं अन्य के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक के हिस्से में लगभग 4.05 एकड़ जमीन है। जिसमें से 0.23 एकड़ विकी करने के पश्चात 3.82 एकड़ भूमि बचती है। विकेता अपने दखल कब्जा भूमि को विकी करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विकेता एवं केता एक ही थाना के रहने वाले है। विक्रेता की जाति कोल (हो) एवं केता की जाति 'हो' है, जो (अ0ज0जा0) वर्ग में आते है।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक मे उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.23 एकड़ भूमि विकी करने की अनुमति दी जाती है।

13/6/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।